तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-7-25	**सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर** राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 33/2025 (2025/104) गणपतराम वगैरा बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण गणपतराम, दिनेश पुत्रान् केवलराम जातियान पटेल निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम सालावास के खसरा संख्या 439/7 आई हुई है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम केवलराम के स्थान पर प्रार्थीगण के दादा का नाम खींयाराम दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम केवलराम ही हैं जो कि इस खसरें में प्रार्थीगण की बहन के पिता का नाम केवलराम एवं माता के पति का नाम केवलराम सही दर्ज किया हुआ है। केवल प्रार्थीगण के पिता का नाम केवलराम के स्थान पर दादा का नाम खींयाराम त्रुटिवश दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थीगण के पिता का नाम खींयाराम दर्ज है उसके स्थान पर केवलराम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/1683 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार लूणी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम सालवास के खसरा नम्बर 439/7 में प्रार्थी का नाम गणपतराम पुत्र खींयाराम, दिनेश पुत्र खीयाराम के स्थान पर गणपराम पुत्र केवलराम, दिनेश पुत्र केवलराम किये जाने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन तथा तहसीलदार लूणी की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पेनकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 439/7 में गणपतराम पुत्र खींयाराम, दिनेश पुत्र खीयाराम के स्थान पर गणपराम पुत्र केवलराम, दिनेश पुत्र केवलराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	